संख्या-2/2017/575/94-1-2017-312(31)/2017

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1लखनऊः दिनांक 31 मार्च,2017

विषयः- स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग में प्रतिस्थापना के आधार पर एक मारूति सियाज वी0डी0आई0 क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या-1074/नौ-104/शि0का0लख0/2017 दिनांक 28-03-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके द्वारा वाहन बोलेरो नम्बर यू0पी0 70 जी0-0547 के स्थान पर मारूति सुजिकी सियाज वी0डी0आई0 के क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में वाहन बोलेरो नम्बर यू0पी0 70 जी0-0547 के प्रतिस्थापनास्वरूप एक मारूति सुजिकी सियाज वी0डी0आई0 ई-मार्केट प्लेस ऑफ डी0जी0एस0 एण्ड डी0 मूल्य पर क्रय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल रूपये 686127/- (छः लाख छियासी हजार एक सौ सत्ताइस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- स्वीकृत नये वाहन का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ई-मार्केट प्लेस ऑफ डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर किया जायेगा तथा क्रय किये जाने वाले वाहन की गुणवत्ता वदर की वैधता की अवधि सुनिश्चित कर ली जायेगी तथा यह भी सुनिश्चितकिया जायेगा कि चोरी हुए उक्त वाहन के स्थान पर पूर्व में नया वाहन न क्रय किया गया हो एवं उक्त वाहन के सम्बन्ध में नियमानुसार उत्तरदायित्व का निर्धारण करके अन्य समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायेंगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-91 के राजस्व लेखा-2030-स्टाम्प पंजीकरण-आयोजनेत्तर-03-पंजीकरण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्यालय मद-14मोटर गाड़ियों का क्रय के नामें डालाजायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-9-106/दस-2017 दिनांक 31-03-2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारीकिये जा रहे हैं।

भवदीय

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2/2017-575(1)/94-1-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/ द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।

4- असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,खण्ड-12 इलाहाबाद को इस निदेश के साथ प्रेषित कि शासकीय प्रयोजन हेतु उपर्युक्त वाहन मारूति सुजिकी सियाज वी0डी0आई0 क्रय करने के लिए फार्म-39 तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।